न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

धारा–144 दं0प्र0सं0

वाद सं0–121/17

गरीब भुईयां –बनाम– मंजीत भुईयां वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 08.08.2017 को द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा की मांग की गयी तथा थाना प्रभारी, चौपारण से भी जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी द्वितीय पक्ष के इस वाद में उपस्थित होने एवं बारम्बार अपना पक्ष रखने का मौका दिये जाने के बावजूद द्वितीय पक्ष के जवाब देने में असफल रहने पर दिनांक 01.12.2017 को प्रश्नगत भूमि के लिये दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत उभय पक्षों पर कार्रवाई आरम्भ किया गया। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा उभय पक्षों से कारणपृच्छा प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

मौजा–सेलहराकला, थाना–चौपारण, जिला–हजारीबाग।

खाता सं0	**प्लॉट सं0**	**रकबा**	**चौहदी**
77	3551/4	60 डी0 मधे 48 डी0	उ0–नेमन भुईयां द0–बडा जगदीश दुसाध पू0–सियाराम सिंह प0–रास्ता

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खुद के नाम से बन्दोबस्ती द्वारा हांसिल भूमि है, जो भूमि उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा दिनांक 02.09.1970 से प्राप्त है और इस पर तभी से प्रथम पक्ष का कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 02.08.2017 को प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष बाजबरन जोत–कोड कर रहे थे, जब प्रथम पक्ष मना करने गये तो द्वितीय पक्ष के सदस्यगण मार–पीट, गाली–गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगे। इससे तनाव उत्पन्न हो गया है तथा शांति व्यवस्था भंग हो गयी है। प्रथम पक्ष ने कार्रवाई के दौरान दिनांक 30.10.2017 को आवेदन देकर अनुरोध किया है कि उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का धान का फसल लगा हुआ है, जिसे द्वितीय पक्ष काटने पर उतारू है, इससे शांति भंग होने की सम्भावना है, अतः अंचल अधिकारी, चौपारण को उक्त फसल काट कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात जमा किये है:–

1. प्रश्नगत भूमि से संबंधित गरीब भुईयां के नाम से वर्ष–2014–15 के लिये निर्गत लगान रसीद का दिनांक 20.07.2014 की छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि से संबंधित गरीब भुईयां के नाम से दर्ज पंजी–।। का ऑनलाईन विवरण की छायाप्रति।
3. प्रश्नगत भूमि से संबंधित खाता सं0–77, प्लॉट सं0–3551/4, रकबा–60 डी0 का गरीब भुईयां, पिता–समर भुईयां के नाम से बन्दोबस्ती पर्चा की छायाप्रति।
4. बन्दोबस्ती पर्चा के साथ संलग्न प्रश्नगत भूमि से संबंधित नक्शे की छायाप्रति।
5. प्रश्नगत भूमि से संबंधित गरीब भुईयां के नाम से निर्गत वर्ष–1976–77 से 87–88 तक का लगान रसीद का दिनांक 02.03.1988 की छायाप्रति।

(2)

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि द्वितीय पक्ष के पिता को बन्दोबस्ती पर्चा से हांसिल है तथा भूमि हांसिल होने के पश्चात द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि को खेती लायक बना कर कुछ पेड–पौधा भी लगाये है। प्रश्नगत भूमि का चौपारण अंचल से मालगुजारी रसीद भी प्राप्त होता है। प्रथम पक्ष जान–बूझकर द्वितीय पक्ष को भूमि से बेदखल करने के लिये उक्त वाद लाये है।

द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात दाखिल किया हैः–

1. खाता सं0–77, रकबा–34 डी0 का नेमन भुईयां के नाम से निर्गत लगान रसीद वर्ष–1992–93 एवं 93–94 का दिनांक 08.02.1994 को निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति।
2. अंचल अधिकारी, चौपारण का ज्ञापांक 260, दिनांक 12.03.2013 से निर्गत नेमन भुईयां, पिता–स्व0 रूपलाल भुईयां के इंदिरा आवास के संबंध में प्लॉट सं0–3551, रकबा–02 डी0 के भूमि प्रतिवेदन की छायाप्रति।
3. नेमन भुईयां, पिता–स्व0 रूपलाल भुईयां के नाम से निर्गत खाता सं0–77, प्लॉट सं0–3551/2, रकबा–34 डी0 बन्दोबस्ती पर्चा की छायाप्रति।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा, दाखिल कागजात एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि उभय पक्षों को बन्दोबस्ती में प्राप्त भूमि अलग–अलग है। प्रथम पक्ष गरीब भुईयां, पिता–समर भुईयां को ग्राम–सेलहराकला के खाता सं0–77 के प्लॉट सं0–3551/4, रकबा–60 डी0 भूमि बन्दोबस्ती में प्राप्त है और द्वितीय पक्ष नेमन भुईयां, पिता–स्व0 रूपलाल भुईयां के नाम से उसी खाता सं0–77 में अन्य प्लॉट जिसका प्लॉट सं0–3551/2, रकबा–34 डी0 है, बन्दोबस्त किया गया है।

प्रश्नगत भूमि खाता सं0–77, प्लॉट सं0–3551/4, रकबा–60 डी0 चुंकि प्रथम पक्ष को बन्दोबस्ती में प्राप्त है और इसका लगान रसीद प्रथम पक्ष को प्राप्त है, अतः प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के हित में रिक्त और द्वितीय पक्ष के विरुद्ध नियमन निरपेक्ष घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

29/01/18

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

29/01/18

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।